

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानश्रीनगर NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SRINAGAR डीन छात्र कल्याण कार्यालय

OFFICE OF DEAN STUDENTS' WELFARE हजरतबल, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर, 190006, भारत Hazratbal. Srinagar Jammu and Kashmir. 190006. INDIA

नं./No: NIT/DSW/2024/ 146

दिनांक/Dated: 06-03-2024

स्चना / NOTICE

स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, संस्थान के सभी छात्रों को 07 मार्च से 09 मार्च, 2024 तक संस्थान परिसर छोड़ने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, निवासियों को पिकनिक, ट्रैकिंग या किसी अन्य नाइट आउट में जाने की सख्त मनाही है। इस अविध के दौरान।

इसके अलावा, यह हमारे ध्यान में आया है कि कुछ ट्रैकिंग समूह कई दिनों तक चलने वाली यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। छात्रों को सूचित किया जाता है कि ऐसी गतिविधियों की अनुमित नहीं है। पिकनिक पर जाने का इरादा रखने वाले किसी भी छात्र को माता-पिता की सहमित लेनी होगी। सहमित प्रपत्र को माता-पिता के पूरे नाम और संपर्क नंबर सिहत, पिकनिक से पहले अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में डाक के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि सहमित विवरण में किसी भी तरह की हेराफेरी के गंभीर परिणाम होंगे।

इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी छात्र को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें संभवतः छात्रावास आवास से निष्कासन भी शामिल है।

As per the directives from the local administration, all students of the institute are advised to refrain from leaving the institute premises from **07 March to 09 March**, **2024**. Additionally, residents are strictly prohibited from going in picnics, trekking, or any other night outs during this period.

Moreover, it has come to our attention that some trekking groups have been organizing trips lasting several days. Students are hereby informed that such activities are not permitted. Any student intending to go on a picnic must obtain parental consent. The consent form must be submitted via post to the office of the undersigned prior to the picnic, including the full names and contact numbers of the parents. Please note that any falsification of consent details will result in severe consequences.

Furthermore, any student found violating these guidelines will face strict disciplinary action, potentially including expulsion from hostel accommodations.

डीन छाँत्र कल्याण / ` Dean Students Welfare

प्रतिलिपि / Copy To:

- 1. निदेशक के विशेष सचिव कृपया निदेशक की जानकारी के लिए/ Special Secretary to Director for information of the Director please.
- 2. अध्यक्ष सीएससी को संस्थान की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के लिए Chairman C.S.C for uploading the Notice on the Institute Website
- 3. सभी वार्डन और हॉल सहायक को जानकारी हेतु
 All Wardens and Hall Assistants for information.
- 4. सभी नोटिस बोर्ड All notice boards.